"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 305] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2024 — आषाढ़ 25, शक 1946

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 2 जुलाई 2024

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3–6/2015/38–2 (पार्ट–1). – छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर के पत्र क्रमांक 756/पी.यू./एस.एण्ड ओ./एमिटी/2014/20244, दिनांक 29–05–2024 द्वारा एमिटी विश्वविद्यालय, ग्राम–मांठ, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर छत्तीसगढ़ के अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 38 का अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 29(2) के तहत् किया गया है।

2/ राज्य शासन, एतद्द्वारा, उपरोक्त अध्यादेशों को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है।

3/ उपरोक्त अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.पी. पाण्डेय, उप–सचिव.

AMITY UNIVERSITY
CHHATTISGARH

अध्यादेश क्रमांक: 38

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यूजीसी, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बीसीआई/पीसीआई/एनसीटीई/एआईसीटीई /एमसीआई/ आईसीएआर आदि द्वारा शासित/विनियमित/अनुमोदित को छोड़कर सभी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए अध्यादेश लागू है।

1.शीर्षक और प्रारंभ

i. अध्यादेश को बीसीआई/पीसीआई/एनसीटीई/एआईसीटीई /एमसीआई/ आईसीएआर आदि द्वारा शासित / विनियमित / अनुमोदित को छोड़कर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यूजीसी नई दिल्ली द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सभी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए अध्यादेश कहा जाएगा।

ii. यह अध्यादेश विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचना जारी होने की तिथि के बाद शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र से लागू होगा।

iii. इस अध्यादेश का प्रावधान बीसीआई/पीसीआई/एनसीटीई/एआईसीटीई/एमसीआई/ आईसीएआर आदि द्वारा शासित / विनियमित / अनुमोदित को छोड़कर, कला, विज्ञान, प्रबंधन, प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी, वाणिज्य, विधि, होटल प्रबंधन, फैशन डिजाइनिंग आदि संकायों के अंतर्गत अनुमोदित तीन वर्षीय /छह सेमेस्टर स्नातक डिग्री या चार वर्षीय/ आठ सेमेस्टर स्नातक डिग्री (ऑनर्स /शोध), एक वर्षीय/ दो सेमेस्टर या दो वर्षीय/ चार सेमेस्टर स्नातकोत्तर डिग्री संकाय पर लागू होगा।

2.परिभाषा एवं मुख्य शब्द

"अधिनियम" का तात्पर्य छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 एवं उसके बाद के संशोधनों से है।

"विश्वविद्यालय" का अर्थ है छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 28 (1) के तहत स्थापित एमिटी विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़।

"छात्र" का अर्थ वह व्यक्ति है जिसे समय-समय पर स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एमिटी विश्वविद्यालय द्वारा तय की गई प्रक्रिया के अनुसार इस विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया है।

"**च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस)"** का अर्थ एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो छात्रों को निर्धारित पाठ्यक्रमों (कोर पाठ्यक्रम, अनिवार्य पाठ्यक्रम, प्रोफेशनल कोर, प्रोफेशनल इलेक्टिव, ओपन इलेक्टिव, माइनर ट्रैक, वैल्यू एडेड**, स्किल एनहांसमेंट कोर्स** आदि) में से यूजीसी/प्रासंगिक नियामक निकायों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, जहां भी लागू हो और विश्वविद्यालय के उपयुक्त निकायों द्वारा अनुमोदित हो, चयन करने का विकल्प प्रदान करता है।

"पाठ्यक्रम" का अर्थ वितरण के विभिन्न तरीकों के माध्यम से "पेपर" है और यह एक पाठ्यक्रम का एक घटक है जैसा कि संबंधित पाठ्यक्रम संरचना में विस्तृत है।

"क्रेडिट प्वाइंट" का अर्थ किसी पाठ्यक्रम के लिए ग्रेड प्वाइंट और क्रेडिट की संख्या का उत्पाद है।

"क्रेडिट" का अर्थ एक इकाई है जिसके द्वारा पाठ्यक्रम कार्य को मापा जाता है। यह प्रति सप्ताह आवश्यक निर्देशों के घंटों की संख्या निर्धारित करता है। एक क्रेडिट प्रति सप्ताह एक घंटे के शिक्षण (व्याख्यान, सेमिनार) या प्रति सप्ताह दो घंटे के व्यावहारिक कार्य/ट्यूटोरियल/फील्ड कार्य/प्रोजेक्ट आदि के बराबर है। प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए क्रेडिट की संख्या संबंधित परीक्षा योजना में परिभाषित की जाएगी।

"संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत (सीजीपीए)" का अर्थ सभी सेमेस्टर में एक छात्र के समग्र संचयी प्रदर्शन का माप है। सीजीपीए संबंधित सेमेस्टर तक पंजीकृत विभिन्न पाठ्यक्रमों में एक छात्र द्वारा प्राप्त कुल क्रेडिट अंकों का अनुपात है और उन संबंधित सेमेस्टर में सभी पंजीकृत पाठ्यक्रमों के कुल क्रेडिट अंकों का योग है। इसे दो दशमलव स्थानों तक व्यक्त किया जाता है।

"सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज (एसजीपीए)" का अर्थ किसी विशेष सेमेस्टर में छात्र के प्रदर्शन का माप है। यह एक सेमेस्टर में पंजीकृत विभिन्न पाठ्यक्रमों में एक छात्र द्वारा प्राप्त कुल क्रेडिट अंकों और उस सेमेस्टर में सभी पाठ्यक्रमों के कुल क्रेडिट का अनुपात है। इसे दशमलव के दो स्थानों तक व्यक्त किया जाएगा।

"ग्रेड प्वाइंट" का अर्थ है 10-पॉइंट स्केल पर या समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक अक्षर ग्रेड के लिए आवंटित संख्यात्मक भार।

"लेटर ग्रेड" का अर्थ किसी पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रदर्शन का सूचकांक है। ग्रेड को O, A+, A, B+, B, C, P" और F अक्षरों से दर्शाया जाता है।

"सेमेस्टर" का अर्थ 14-20 सप्ताह के शिक्षण कार्य में फैला एक शैक्षणिक सत्र है। विषम सेमेस्टर आमतौर पर जुलाई से दिसंबर तक और सम सेमेस्टर जनवरी से जून तक निर्धारित किया जा सकता है।

"ग्रेड शीट" का अर्थ अर्जित ग्रेड के आधार पर एक प्रमाण पत्र है। प्रत्येक सेमेस्टर के बाद परीक्षा के लिए पंजीकृत सभी छात्रों को ग्रेड शीट जारी की जाएगी। ग्रेड शीट में पाठ्यक्रम विवरण (कोड, शीर्षक, क्रेडिट की संख्या, ग्रेड सुरक्षित) के साथ-साथ सेमेस्टर का एसजीपीए और उस सेमेस्टर तक अर्जित सीजीपीए शामिल होगा। अंतिम सेमेस्टर ग्रेड शीट में आवंटित अधिकतम अंकों में से सभी सेमेस्टर में छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का संचयी योग भी प्रतिबिंबित होगा, जिसके लिए पाठ्यक्रम के ग्रेड का मूल्यांकन किया गया था। हालाँकि, अंतिम परिणाम ग्रेड/सीजीपीए पर आधारित होगा।

"प्रतिलेख" का अर्थ पाठ्यक्रम के सफल समापन के बाद पाठ्यक्रम में सभी नामांकित छात्रों को जारी किया गया प्रमाण पत्र है। इसमें सभी सेमेस्टर का एसजीपीए और सीजीपीए शामिल है।

"एनईपी" का मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 है।

"एनएसक्यूएफ" का अर्थ एनईपी 2020 में परिभाषित राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा है।

"एनएचईक्यूएफ" का अर्थ एनईपी 2020 में परिभाषित "एनएचईक्यूएफ" राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता ढांचा है।

"यूसीएफ" का अर्थ एनईपी 2020 में परिभाषित एकीकृत क्रेडिट स्तर है।

"अंडरग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स" का अर्थ है वे छात्र जिन्होंने एनएचईक्यूएफ स्तर 5/यूसीएफ स्तर 4.5 की आवश्यकता पूरी कर ली है।

"अंडरग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स" का अर्थ है वे छात्र जिन्होंने एनएचईक्यूएफ स्तर 6 / यूसीएफ स्तर 5 की आवश्यकता पूरी कर ली है।

"बैचलर डिग्री" का अर्थ है वे छात्र जिन्होंने एनएचईक्यूएफ स्तर 7/यूसीएफ स्तर 5.5 की आवश्यकता पूरी कर ली है।

"बैचलर डिग्री (ऑनर्स/रिसर्च)" का अर्थ है वे छात्र जिन्होंने एनएचईक्यूएफ स्तर 8/यूसीएफ स्तर 6 की आवश्यकता पूरी कर ली है।

"पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स" 2-वर्षीय पीजी: 3-वर्षीय यूजी पाठ्यक्रम के बाद 2-वर्षीय पीजी में प्रवेश करने वाले छात्र।

"पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स" पीजी पाठ्यक्रम के लिए, दो-वर्षीय पीजी पाठ्यक्रम में शामिल होने वालों के लिए केवल एक निकास बिंदु होगा। प्रथम वर्ष के अंत में बाहर निकलने वाले छात्रों को स्नातकोत्तर डिप्लोमा से सम्मानित किया जाएगा।

"पाठ्यक्रम पंजीकरण" का तात्पर्य उचित रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए संस्थान में एक संकाय सलाहकार (जिसे सलाहकार, परामर्शदाता, कक्षा शिक्षक इत्यादि भी कहा जाता है) की देखरेख में प्रत्येक छात्र द्वारा प्रत्येक सेमेस्टर में अध्ययन के पाठ्यक्रमों के पंजीकरण से है। विश्वविद्यालय पोर्टल "एमीज़ोन" पर पंजीकरण अनिवार्य है।

"पाठ्यक्रम मूल्यांकन" शिक्षण-झुकाव प्रक्रिया के प्रभाव के माप का प्रतिनिधित्व करता है और पाठ्यक्रमों और शिक्षण प्रदर्शन में सीखने की गुणवत्ता में सुधार करने का अवसर प्रदान करता है। पाठ्यक्रम का मूल्यांकन कुछ मॉड्यूल या पाठ्यक्रम सामग्री के अध्यायों के अंत में और सेमेस्टर के अंत में शिक्षण-सीखने की अवधि के दौरान परीक्षण, क्विज़, असाइनमेंट इत्यादि जैसे विभिन्न तरीकों को अपनाकर किया जाता है। जबकि मूल्यांकन के पूर्व भाग को सतत आंतरिक मूल्यांकन कहा जाता है और मूल्यांकन के बाद के भाग को अंतिम सेमेस्टर मूल्यांकन कहा जाता है।

"सीबीसीएस" प्रत्येक पाठ्यक्रम में क्रेडिट की एक निर्धारित संख्या होती है। क्रेडिट पाठ्यक्रम संरचना पर आधारित होते हैं, जिसमें शिक्षण मोड और व्याख्यान, ट्यूटोरियल और व्यावहारिक कक्षाओं के लिए संपर्क

घंटों की संख्या शामिल है। क्रेडिट संपर्क घंटों की संख्या, पाठ्यक्रम सामग्री और शिक्षण पद्धति और आवंटित अधिकतम अंकों पर आधारित होते हैं।

क्रेडिट विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाएगा। क्रेडिट की गणना इस प्रकार की जा सकती है:

- 12-15 सप्ताह तक प्रति सप्ताह एक घंटे का सिद्धांत या दो घंटे का ट्यूटोरियल या दो घंटे का प्रयोगशाला कार्य जिसके परिणामस्वरूप एक क्रेडिट प्रदान किया जाएगा।
- इंटर्नशिप के लिए क्रेडिट प्रशिक्षण के प्रति सप्ताह एक क्रेडिट होगा, जो एक सेमेस्टर में अधिकतम छह क्रेडिट के अधीन होगा।
- परियोजना/निबंध: 12-15 सप्ताह तक प्रति सप्ताह दो घंटे का परियोजना/अनुसंधान कार्य जिसके परिणामस्वरूप एक क्रेडिट प्रदान किया जाएगा।

"एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी)" एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी), एक राष्ट्रीय स्तर की सुविधा है जो उचित "क्रेडिट ट्रांसफर" तंत्र के साथ देश में उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में छात्रों के पाठ्यक्रम ढांचे के लचीलेपन और अंतःविषय/बहुविषयक शैक्षणिक गतिशीलता को बढ़ावा देगी।

"मल्टीपल एंट्री एग्जिट" "मल्टीपल एंट्री एग्जिट" का अर्थ है एचईआई में पेश किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रमों में कई प्रविष्टियां और निकास बिंदु जो कठोर सीमाओं को हटा देंगे और छात्रों के लिए नई संभावनाएं पैदा करेंगे। ऐसे अवसर आते हैं जब विभिन्न कारणों से विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़नी पड़ती है। निर्धारित अवधि के भीतर लचीली शिक्षा की सुविधा के लिए, जरूरतमंद छात्रों को कई निकास और प्रवेश विकल्प दिए जाते हैं। छात्र केवल सम सेमेस्टर (दूसरे, चौथे और छठे सेमेस्टर) के अंत में ही पाठ्यक्रम से बाहर निकल सकता है और छात्रों को विषम सेमेस्टर (तीसरे, पांचवें और सातवें सेमेस्टर) की शुरुआत में प्रवेश का विकल्प प्रदान किया जाता है।

3. प्रवेश

i. इन कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश नियम और दिशानिर्देश विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश के लिए तैयार किए गए हैं।

ii. जिस छात्र ने माध्यमिक शिक्षा मंडल, छत्तीसगढ़ से 12वीं कक्षा की परीक्षा या राज्य और केंद्र सरकार और संबंधित अन्य वैधानिक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य बोर्ड से समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, वह इन स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र होगा।

iii. प्रवेश यूजीसी और अन्य संबंधित वैधानिक निकायों द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, विश्वविद्यालय / केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित मानदंडों के आधार पर गणना की गई योग्यता के आधार पर किया जाएगा।

iv. किसी पाठ्यक्रम में छात्र नामांकन विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित सीटों तक ही सीमित रहेगा। एकेडमिक काउंसिल और मैनेजमेंट बोर्ड की मंजूरी के बाद सीटों में अतिरिक्त बढ़ोतरी की जा सकेगी।

v. इस अध्यादेश के प्रावधानों के तहत प्रवेश क्षमता विश्वविद्यालय द्वारा पहले से निर्धारित की जाएगी जो शैक्षणिक सत्र 2024-25 से लागू होगी।

vi. यदि छात्रों ने किसी संस्थान में उसी पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और पढ़ाई में ब्रेक के बाद पाठ्यक्रम में फिर से प्रवेश करना चाहते हैं तो उपलब्ध शैक्षणिक और भौतिक सुविधाओं के आधार पर, विश्वविद्यालय प्रथम-डिग्री पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष में पार्श्व प्रवेशकों के लिए पाठ्यक्रम के पिछले वर्ष के लिए स्वीकृत सीटों में से अधिकतम 10% सीटें निर्धारित कर सकता है।

vii. विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए उनके कुल स्वीकृत नामांकन के अलावा 10% अतिरिक्त सीटें बना सकता है। 10% अतिरिक्त सीटों के संबंध में निर्णय बुनियादी ढांचे, संकाय और अन्य आवश्यकताओं पर विचार करते हुए नियामक निकायों द्वारा जारी विशिष्ट दिशानिर्देशों/विनियमों के अनुसार किया जाना है।

viii. अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए आवंटित 10% अतिरिक्त सीटों में विनिमय कार्यक्रमों के तहत या/और संस्थानों के बीच या भारत सरकार और अन्य देशों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत अंतरराष्ट्रीय छात्र शामिल नहीं होंगे।

ix. शैक्षणिक कार्यक्रमों में एकाधिक प्रवेश और निकास बिंदुओं को सक्षम करने के लिए सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री जैसी योग्यताएं स्तर 5 से स्तर 8 तक बढ़ते क्रम में स्तरों की एक श्रृंखला में आयोजित की जाती हैं। स्तर 5 सर्टिफिकेट का प्रतिनिधित्व करता है, स्तर 6 डिप्लोमा का प्रतिनिधित्व करता है, स्तर 7 स्नातक डिग्री को दर्शाता है और 8 बैचलर डिग्री (ऑनर्स/रिसर्च) योग्यता को दर्शाता है **(तालिका-1)**योग्यता और न्यूनतम क्रेडिट आवश्यकताएँ **तालिका -1** में दी गई हैं। स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश करने वाले छात्रों के लिए प्रवेश और निकास विकल्प निम्नानुसार होंगे:

यूजी सर्टिफिकेट: जो छात्र पहले वर्ष के पूरा होने के बाद बाहर निकलने का विकल्प चुनते हैं और 40 क्रेडिट हासिल कर चुके हैं, उन्हें यूजी सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा, यदि इसके अलावा, वे पहले वर्ष की गर्मी की छुट्टियों के दौरान 4 क्रेडिट का एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूरा करते हैं। इन छात्रों को तीन साल के भीतर डिग्री पाठ्यक्रम में फिर से प्रवेश करने और सात साल की निर्धारित अधिकतम अवधि के भीतर डिग्री पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति है।

यूजी डिप्लोमा: जो छात्र दूसरे वर्ष के पूरा होने के बाद बाहर निकलने का विकल्प चुनते हैं और 80 क्रेडिट हासिल कर चुके हैं, उन्हें यूजी डिप्लोमा से सम्मानित किया जाएगा, यदि इसके अलावा, वे दूसरे वर्ष की गर्मी की छुट्टियों के दौरान 4 क्रेडिट का एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूरा करते हैं। इन छात्रों को तीन साल की अवधि के भीतर फिर से प्रवेश करने और अधिकतम सात साल की अवधि के भीतर डिग्री पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति है।

3-वर्षीय यूजी डिग्री: जो छात्र 3-वर्षीय यूजी पाठ्यक्रम से गुजरना चाहते हैं, उन्हें तीन साल सफलतापूर्वक पूरा करने, 120 क्रेडिट हासिल करने और तालिका 1 में दी गई न्यूनतम क्रेडिट आवश्यकता को पूरा करने के बाद प्रमुख अनुशासन में यूजी डिग्री से सम्मानित किया जाएगा।

4-वर्षीय यूजी डिग्री (ऑनर्स): मेजर अनुशासन में चार-वर्षीय यूजी ऑनर्स डिग्री उन लोगों को प्रदान की जाएगी जो 160 क्रेडिट के साथ चार-वर्षीय डिग्री प्रोग्राम पूरा करते हैं और तालिका 1 में दी गई क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

4-वर्षीय यूजी डिग्री (अनुसंधान के साथ ऑनर्स): जो छात्र पहले छह सेमेस्टर में 75% और उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं और स्नातक स्तर पर शोध करना चाहते हैं, वे चौथे वर्ष में एक शोध स्ट्रीम चुन सकते हैं। उन्हें विश्वविद्यालय/कॉलेज के किसी संकाय सदस्य के मार्गदर्शन में एक शोध परियोजना या शोध प्रबंध करना चाहिए। अनुसंधान परियोजना/शोध प्रबंध प्रमुख अनुशासन में होगा। जो छात्र एक शोध परियोजना/शोध प्रबंध से 12 क्रेडिट सहित 160 क्रेडिट हासिल करते हैं, उन्हें यूजी डिग्री (अनुसंधान के साथ ऑनर्स) से सम्मानित किया जाता है।

एकल मेजर के साथ यूजी डिग्री पाठ्यक्रम: एक छात्र को एकल मेजर से सम्मानित होने के लिए 3-वर्षीय/4-वर्षीय यूजी डिग्री के लिए प्रमुख अनुशासन से न्यूनतम 50% क्रेडिट सुरक्षित करना होगा।

डबल मेजर के साथ यूजी डिग्री प्रोग्राम: एक छात्र को डबल मेजर से सम्मानित होने के लिए 3-वर्षीय/4-वर्षीय यूजी डिग्री के लिए दूसरे प्रमुख अनुशासन से न्यूनतम 40% क्रेडिट सुरक्षित करना होगा।

अंतःविषय यूजी पाठ्यक्रम: मुख्य पाठ्यक्रमों के क्रेडिट को घटक विषयों/विषयों के बीच वितरित किया जाएगा ताकि अंतःविषय पाठ्यक्रम में मुख्य योग्यता प्राप्त की जा सके।

बहु-विषयक यूजी पाठ्यक्रम: अध्ययन के बहु-विषयक पाठ्यक्रम को अपनाने वाले छात्रों के मामले में, मुख्य पाठ्यक्रमों के क्रेडिट को जीवन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणितीय और कंप्यूटर विज्ञान, डेटा विश्लेषण, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, आदि जैसे व्यापक विषयों में वितरित किया जाएगा।

विश्वविद्यालय के वैधानिक निकाय जैसे अध्ययन बोर्ड और अकादमिक परिषद प्रमुख श्रेणी के तहत पाठ्यक्रमों की सूची और दोहरे प्रमुख, अंतःविषय और बहु-विषयक कार्यक्रमों के लिए क्रेडिट वितरण पर निर्णय लेंगे। प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम क्रेडिट आवश्यकताएँ

तालिका-1: योग्यता प्रकार और क्रेडिट आवश्यकताएँ

स्तर	योग्यता	न्यूनतम क्रेडिट आवश्यकताएँ
स्तर 5	स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष (दो सेमेस्टर) के बाद बाहर निकलने वालों के लिए स्नातक सर्टिफिकेट (सीखने/अनुशासन के क्षेत्र में)। (पाठ्यक्रम की अवधि: स्नातक पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष या दो सेमेस्टर)	**36-40**
स्तर 6	स्नातक पाठ्यक्रम के दो साल (चार सेमेस्टर) के बाद बाहर निकलने वालों के लिए स्नातक डिप्लोमा (सीखने/अनुशासन के क्षेत्र में) (पाठ्यक्रम की अवधि: स्नातक पाठ्यक्रम के पहले दो साल या चार सेमेस्टर)	**72-80**

स्तर 7	स्नातक की डिग्री (पाठ्यक्रम की अवधि: तीन वर्ष या छह सेमेस्टर)।	**108-120**
स्तर 8	बैचलर डिग्री (ऑनर्स/रिसर्च) (पाठ्यक्रम की अवधि: चार साल या आठ सेमेस्टर)।	**144-160**
स्तर 8	उन लोगों के लिए पोस्ट-ग्रेजुएट डिप्लोमा जो दो-वर्षीय मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम के पहले वर्ष या दो सेमेस्टर के सफल समापन के बाद बाहर निकल जाते हैं)। (पाठ्यक्रम की अवधि: एक वर्ष या दो सेमेस्टर)	**36–40**
स्तर 9	मास्टर डिग्री (पाठ्यक्रम की अवधि: स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद दो साल या चार सेमेस्टर)।	**72–80**
स्तर 9	मास्टर डिग्री (पाठ्यक्रम की अवधि: चार साल की बैचलर डिग्री (ऑनर्स/रिसर्च) प्राप्त करने के बाद एक साल या दो सेमेस्टर।	**36–40**
स्तर 10	डॉक्टरेट की डिग्री	पाठ्यक्रम कार्य और प्रकाशित कार्य के साथ थीसिस के लिए न्यूनतम निर्धारित क्रेडिट

टिप्पणी: -

1. ऑनर्स छात्र जो शोध नहीं कर रहे हैं वे एक शोध परियोजना/शोध प्रबंध के बदले में 12 क्रेडिट के लिए 3 पाठ्यक्रम करेंगे।

2. यूजीसी/वैधानिक निकायों द्वारा प्रख्यापित दिशानिर्देशों के अनुसार, विश्वविद्यालय इस तरह से अतिरिक्त क्रेडिट आवंटित कर सकता है जिससे छात्रों को न्यूनतम क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करने में सुविधा होगी।

4.स्नातक पाठ्यक्रम के पाठ्यचर्या संबंधी घटक:

पाठ्यक्रम में प्रमुख स्ट्रीम पाठ्यक्रम, लघु स्ट्रीम पाठ्यक्रम और अन्य विषयों के पाठ्यक्रम, भाषा पाठ्यक्रम, कौशल पाठ्यक्रम और पर्यावरण शिक्षा, भारत को समझना, डिजिटल और तकनीकी समाधान, स्वास्थ्य और कल्याण, योग शिक्षा और खेल पर पाठ्यक्रमों का एक सेट शामिल है। फिटनेस. दूसरे सेमेस्टर के अंत में, छात्र या तो चुने गए प्रमुख विषय को जारी रखने का निर्णय ले सकते हैं या प्रमुख विषय में बदलाव का अनुरोध कर सकते हैं। लघु स्ट्रीम पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल हैं जो छात्रों को नौकरी-उन्मुख कौशल से लैस करने में मदद करेंगे।

5.अनुशासनात्मक/अंतःविषय मेजर:

मेजर, छात्र को किसी विशेष विषय या अनुशासन का गहन अध्ययन करने का अवसर प्रदान करेगा। छात्रों को पहले वर्ष के दौरान अंतःविषय पाठ्यक्रमों का पता लगाने के लिए पर्याप्त समय देकर दूसरे सेमेस्टर के अंत में व्यापक अनुशासन के भीतर प्रमुख बदलाव करने की अनुमति दी जा सकती है। सातवें सेमेस्टर में उन्नत स्तर के अनुशासनात्मक/अंतःविषय पाठ्यक्रम, अनुसंधान पद्धति में एक पाठ्यक्रम और एक परियोजना/शोध प्रबंध आयोजित

किया जाएगा। अंतिम सेमेस्टर सेमिनार प्रस्तुति, तैयारी और परियोजना रिपोर्ट/शोध प्रबंध प्रस्तुत करने के लिए समर्पित होगा। परियोजना कार्य/शोध प्रबंध अध्ययन के अनुशासनात्मक पाठ्यक्रम के किसी विषय या अंतःविषय विषय पर होगा।

6.अनुशासनात्मक/अंतरविषयक माइनर:

छात्रों के पास चुने गए व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम से संबंधित अनुशासनात्मक/अंतःविषय माइनर और कौशल-आधारित पाठ्यक्रमों में से पाठ्यक्रम चुनने का विकल्प होगा। जो छात्र चुने गए प्रमुख विषय के अलावा किसी अनुशासन या अध्ययन के अंतःविषय क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में पाठ्यक्रम लेते हैं, वे उस अनुशासन में या अध्ययन के चुने हुए अंतःविषय क्षेत्र में लघु पाठ्यक्रम के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे। एक छात्र विभिन्न पाठ्यक्रमों की खोज के बाद, दूसरे सेमेस्टर के अंत में लघु और व्यावसायिक स्ट्रीम की पसंद की घोषणा कर सकता है।

7.व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण:

व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण सिद्धांत और व्यावहारिक के साथ-साथ कौशल प्रदान करने के लिए स्नातक पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग बनेगा। व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण से संबंधित 'माइनर' स्ट्रीम के लिए न्यूनतम 12 क्रेडिट आवंटित किए जाएंगे और ये छात्र के प्रमुख या छोटे अनुशासन या पसंद से संबंधित हो सकते हैं। ये पाठ्यक्रम उन छात्रों के लिए नौकरी ढूंढने में उपयोगी होंगे जो पाठ्यक्रम पूरा करने से पहले ही बाहर निकल जाते हैं।

8.अन्य विषयों से पाठ्यक्रम (बहुविषयक) (9 क्रेडिट):

सभी यूजी छात्रों को नीचे दिए गए किसी भी व्यापक विषय से संबंधित 3 प्रारंभिक स्तर के पाठ्यक्रमों से गुजरना आवश्यक है। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य बौद्धिक अनुभव को व्यापक बनाना और उदार कला और विज्ञान शिक्षा का हिस्सा बनना है। छात्रों को इस श्रेणी के तहत प्रस्तावित प्रमुख और लघु स्ट्रीम में उच्च माध्यमिक स्तर (12वीं कक्षा) में पहले से ही किए गए पाठ्यक्रमों को चुनने या दोहराने की अनुमति नहीं है।

i. प्राकृतिक और भौतिक विज्ञान: छात्र प्राकृतिक विज्ञान जैसे विषयों से बुनियादी पाठ्यक्रम चुन सकते हैं, उदाहरण के लिए, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणीशास्त्र, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन, रसायन विज्ञान, भौतिकी, बायोफिज़िक्स, खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी, पृथ्वी और पर्यावरण विज्ञान, आदि।

ii. गणित, सांख्यिकी और कंप्यूटर अनुप्रयोग: इस श्रेणी के अंतर्गत पाठ्यक्रम छात्रों को अपने प्रमुख और छोटे विषयों में उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करने और लागू करने की सुविधा प्रदान करेंगे। पाठ्यक्रम में पायथन जैसे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और एसटीएटीए, एसपीएसएस, टैली आदि जैसे एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में प्रशिक्षण शामिल हो सकता है। इस श्रेणी के तहत बुनियादी पाठ्यक्रम डेटा विश्लेषण और मात्रात्मक उपकरणों के अनुप्रयोग में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए सहायक होंगे।

iii. पुस्तकालय, सूचना और मीडिया विज्ञान: इस श्रेणी के पाठ्यक्रम छात्रों को सूचना और मीडिया विज्ञान (पत्रकारिता, जन मीडिया और संचार) में हाल के विकास को समझने में मदद करेंगे।

iv. वाणिज्य और प्रबंधन: पाठ्यक्रमों में व्यवसाय प्रबंधन, अकाउंटेंसी, वित्त, वित्तीय संस्थान, फिनटेक आदि शामिल हैं।

v. मानविकी और सामाजिक विज्ञान: सामाजिक विज्ञान से संबंधित पाठ्यक्रम, उदाहरण के लिए, मानव विज्ञान, संचार और मीडिया, अर्थशास्त्र, इतिहास, भाषा विज्ञान, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, आदि छात्रों को व्यक्तियों और उनके सामाजिक व्यवहार को समझने में सक्षम बनाएंगे। , समाज और राष्ट्र। छात्रों को भारत के लिए सर्वेक्षण पद्धति और उपलब्ध बड़े पैमाने के डेटाबेस से परिचित कराया जाएगा। मानविकी के अंतर्गत पाठ्यक्रमों में शामिल हैं, उदाहरण के लिए, पुरातत्व, इतिहास, तुलनात्मक साहित्य, कला और रचनात्मक अभिव्यक्तियाँ, रचनात्मक लेखन और साहित्य, भाषाएँ, दर्शनशास्त्र, आदि, और मानविकी से संबंधित अंतःविषय पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रमों की सूची जिसमें संज्ञानात्मक विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, लिंग अध्ययन, वैश्विक पर्यावरण और स्वास्थ्य, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीतिक अर्थव्यवस्था और विकास, सतत विकास, महिला और लिंग अध्ययन आदि जैसे अंतःविषय विषय शामिल हो सकते हैं, समाज को समझने के लिए उपयोगी होंगे।

9.क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (एईसी) (08 क्रेडिट): आधुनिक भारतीय भाषा (एमआईएल) और अंग्रेजी भाषा भाषा और संचार कौशल पर केंद्रित है।

छात्रों को भाषा और संचार कौशल पर विशेष जोर देने के साथ आधुनिक भारतीय भाषा (एमआईएल) और अंग्रेजी भाषा में दक्षता हासिल करने की आवश्यकता होती है। पाठ्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों को महत्वपूर्ण पढ़ने और व्याख्यात्मक और अकादमिक लेखन कौशल सहित मुख्य भाषाई कौशल हासिल करने और प्रदर्शित करने में सक्षम बनाना है, जो छात्रों को अपने तर्कों को स्पष्ट करने और अपनी सोच को स्पष्ट और सुसंगत रूप से प्रस्तुत करने में मदद करता है और ज्ञान के मध्यस्थ के रूप में भाषा के महत्व को पहचानता है। और पहचान. वे छात्रों को चुनी हुई एमआईएल और अंग्रेजी भाषा की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत से परिचित कराने में सक्षम बनाएंगे, साथ ही एमआईएल और अंग्रेजी भाषा दोनों से संबंधित भाषा/साहित्य की संरचना और जटिलता की चिंतनशील समझ प्रदान करेंगे। पाठ्यक्रम संचार जैसे कौशल के विकास और वृद्धि, और चर्चा और बहस में भाग लेने/संचालन करने की क्षमता पर भी जोर देंगे।

10.कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (एसईसी):

इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए व्यावहारिक कौशल, व्यावहारिक प्रशिक्षण, सॉफ्ट स्किल आदि प्रदान करना है। विश्वविद्यालय छात्रों की आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार पाठ्यक्रम डिजाइन कर सकता है।

11. सभी यूजी छात्रों के लिए मूल्य-वर्धित पाठ्यक्रम (वीएसी) (6-8 क्रेडिट)

i. भारत को समझना: पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को अपने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों और नीतियों के बुनियादी ढांचे और संवैधानिक मूल्यों और मौलिक पर विशेष जोर देने के साथ संवैधानिक दायित्वों के साथ समकालीन भारत के ज्ञान और समझ को प्राप्त करने और प्रदर्शित करने में सक्षम बनाना है। अधिकार और कर्तव्य। यह पाठ्यक्रम भारतीय ज्ञान प्रणालियों, भारतीय शिक्षा प्रणाली और सामान्य रूप से राष्ट्र और स्कूल/समुदाय/समाज के प्रति शिक्षकों की भूमिकाओं और दायित्वों के बारे में छात्र-शिक्षकों के बीच समझ विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। यह पाठ्यक्रम भारत के स्वतंत्रता संग्राम और इसके मूल्यों और आदर्शों के बारे में ज्ञान को गहरा करने और देश के सभी वर्गों और क्षेत्रों के लोगों द्वारा किए गए योगदान की सराहना विकसित करने और शिक्षार्थियों को

मूल्यों को समझने और संजोने में मदद करने का प्रयास करेगा। भारतीय संविधान में निहित और उन्हें एक लोकतांत्रिक समाज के प्रभावी नागरिकों के रूप में उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के लिए तैयार करना।

ii. **पर्यावरण विज्ञान/शिक्षा:** पाठ्यक्रम छात्रों को पर्यावरणीय गिरावट, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण, प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन, संरक्षण के प्रभावों को कम करने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए आवश्यक अर्जित ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्यों को लागू करने की क्षमता से लैस करना चाहता है। जैविक विविधता, जैविक संसाधनों का प्रबंधन, वन और वन्यजीव संरक्षण, और सतत विकास और जीवनयापन। यह पाठ्यक्रम भारत के पर्यावरण की समग्रता, इसकी संवादात्मक प्रक्रियाओं और लोगों के जीवन की भविष्य की गुणवत्ता पर इसके प्रभावों के ज्ञान और समझ को भी गहरा करेगा।

iii. **डिजिटल और तकनीकी समाधान:** अत्याधुनिक क्षेत्रों में पाठ्यक्रम जो तेजी से प्रमुखता प्राप्त कर रहे हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), 3-डी मशीनिंग, बड़े डेटा विश्लेषण, मशीन लर्निंग, ड्रोन तकनीक और स्वास्थ्य, पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के साथ गहन शिक्षण। , और टिकाऊ जीवन जिसे युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए स्नातक शिक्षा में बुना जाएगा।

iv. **स्वास्थ्य और कल्याण, योग शिक्षा, खेल और फिटनेस:** स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित पाठ्यक्रम घटक किसी व्यक्ति के शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और पर्यावरणीय कल्याण की इष्टतम स्थिति को बढ़ावा देना चाहते हैं। खेल और फिटनेस गतिविधियाँ नियमित विश्वविद्यालय कार्य घंटों के बाहर आयोजित की जाएंगी। योग शिक्षा छात्रों को उनकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षमताओं के एकीकरण के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करने और उन्हें अपने व्यक्तित्व के बारे में बुनियादी ज्ञान से लैस करने, आत्म-अनुशासन और आत्म-नियंत्रण बनाए रखने, खुद को अच्छी तरह से संभालना सीखने पर केंद्रित होगी। सभी जीवन स्थितियाँ। पाठ्यक्रमों के खेल और फिटनेस घटकों का ध्यान शारीरिक फिटनेस में सुधार पर होगा जिसमें शारीरिक और कौशल से संबंधित फिटनेस के विभिन्न घटकों जैसे ताकत, गति, समन्वय, सहनशक्ति और लचीलेपन में सुधार शामिल होगा; किसी विशेष खेल से संबंधित मोटर कौशल के साथ-साथ बुनियादी आंदोलन कौशल सहित खेल कौशल का अधिग्रहण; सामरिक क्षमताओं में सुधार; और मानसिक क्षमताओं में सुधार।

विश्वविद्यालय अनुशासन से संबंधित या सभी यूजी कार्यक्रमों के लिए सामान्य अन्य नवीन मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम शुरू कर सकता है।

12.ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप/प्रशिक्षुता (2 - 4 क्रेडिट)

नए यूजी पाठ्यक्रम का एक प्रमुख पहलू वास्तविक कार्य स्थितियों में शामिल होना है। सभी छात्रों को ग्रीष्मकालीन अवधि के दौरान किसी फर्म, उद्योग या संगठन में इंटर्नशिप/प्रशिक्षुता या अपने स्वयं के या अन्य एचईआई/अनुसंधान संस्थानों में संकाय और शोधकर्ताओं के साथ प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण से भी गुजरना होगा। छात्रों को स्थानीय उद्योग, व्यावसायिक संगठनों, स्वास्थ्य और संबद्ध क्षेत्रों, स्थानीय सरकारों (जैसे पंचायत, नगर पालिकाओं), संसद या निर्वाचित प्रतिनिधियों, मीडिया संगठनों, कलाकारों, शिल्पकारों और विभिन्न प्रकार के संगठनों के साथ इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे। ताकि छात्र अपने सीखने के व्यावहारिक पक्ष के साथ सक्रिय रूप से जुड़ सकें और, उप-उत्पाद के रूप में, अपनी रोजगार क्षमता में और सुधार कर सकें। जो छात्र पहले दो सेमेस्टर के बाद बाहर निकलना चाहते हैं, उन्हें यूजी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए ग्रीष्मकालीन अवधि के दौरान 4-क्रेडिट कार्य-आधारित शिक्षा/इंटर्नशिप से गुजरना होगा।

13.सामुदायिक जुड़ाव और सेवा:

'सामुदायिक जुड़ाव और सेवा' का पाठ्यचर्या घटक छात्रों को समाज में सामाजिक-आर्थिक मुद्दों से अवगत कराना चाहता है ताकि वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान उत्पन्न करने के लिए सैद्धांतिक शिक्षा को वास्तविक जीवन के अनुभवों द्वारा पूरक किया जा सके। यह प्रमुख अनुशासन के आधार पर ग्रीष्मकालीन सत्र की गतिविधि का हिस्सा या किसी बड़े या छोटे पाठ्यक्रम का हिस्सा हो सकता है।

14.क्षेत्र-आधारित शिक्षण/लघु परियोजना:

क्षेत्र-आधारित शिक्षण/लघु परियोजना छात्रों को विभिन्न सामाजिक-आर्थिक संदर्भों को समझने के अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगी। इसका उद्देश्य छात्रों को ग्रामीण और शहरी परिवेश में विकास संबंधी मुद्दों से अवगत कराना होगा। यह छात्रों को ग्रामीण और शहरी संदर्भों में स्थितियों का निरीक्षण करने और सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों के संबंध में वास्तविक क्षेत्र स्थितियों का निरीक्षण और अध्ययन करने के अवसर प्रदान करेगा। छात्रों को विकास प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने वाली नीतियों, विनियमों, संगठनात्मक संरचनाओं, प्रक्रियाओं और कार्यक्रमों की प्रत्यक्ष समझ हासिल करने के अवसर दिए जाएंगे। उन्हें समुदाय में जटिल सामाजिक-आर्थिक समस्याओं और पहचानी गई समस्याओं के समाधान उत्पन्न करने के लिए आवश्यक नवीन प्रथाओं की समझ हासिल करने का अवसर मिलेगा। अध्ययन के विषय के आधार पर यह एक ग्रीष्मकालीन अवधि की परियोजना या किसी बड़े या छोटे पाठ्यक्रम का हिस्सा हो सकता है।

15.अनुसंधान परियोजना/निबंध

4-वर्षीय स्नातक डिग्री (अनुसंधान के साथ ऑनर्स) चुनने वाले छात्रों को एक संकाय सदस्य के मार्गदर्शन में अनुसंधान परियोजनाएं शुरू करने की आवश्यकता होती है। छात्रों से आठवें सेमेस्टर में रिसर्च प्रोजेक्ट पूरा करने की उम्मीद की जाती है। उनके प्रोजेक्ट कार्य के अनुसंधान परिणामों को सहकर्मी-समीक्षित पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जा सकता है या सम्मेलनों/सेमिनारों में प्रस्तुत किया जा सकता है या पेटेंट कराया जा सकता है।

16.अन्य गतिविधियाँ:

इस घटक में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनसीसी), राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), वयस्क शिक्षा/साक्षरता पहल, स्कूली छात्रों को सलाह देने और अन्य समान गतिविधियों से संबंधित गतिविधियों में भागीदारी शामिल होगी।

17.विशाल खुला ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसीएस)

एमओओसी शिक्षार्थियों को वैकल्पिक मोड (ऑफ़लाइन, ओडीएल, ऑनलाइन शिक्षण और हाइब्रिड मोड) पर स्विच करने के लिए लचीलापन प्रदान करता है। एमिटी यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़, यूजीसी से प्राप्त दिशानिर्देशों/सिफारिशों के अनुसार स्वयं/एनपीटीईएल या किसी अन्य ऑनलाइन यूजीसी अनुमोदित प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रम के एक सेमेस्टर में पेश किए जाने वाले कुल पाठ्यक्रमों/क्रेडिट इकाइयों के 40 प्रतिशत (40%) तक की अनुमति देता है।

विश्वविद्यालय एमओओसी-आधारित पाठ्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अपने दिशानिर्देश विकसित करेगा। ये दिशानिर्देश पाठ्यक्रम में एमओओसी के सुचारू एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम चयन, क्रेडिट हस्तांतरण और अन्य प्रासंगिक पहलुओं की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करते हैं।

18.स्नातक पाठ्यक्रम के लिए संरचना: सेमेस्टर प्रणाली

एनईपी और यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार तीन साल के बैचलर प्रोग्राम/चार साल के ऑनर्स के साथ बैचलर/रिसर्च के दौरान, छात्रों को आवश्यक न्यूनतम क्रेडिट इकाइयों के पूरा होने के बाद सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री अर्जित करने के साथ पाठ्यक्रम में कई निकास और प्रविष्टियों के अवसर मिलते हैं। तालिका 1 के अनुसार:

* 40 क्रेडिट (स्तर 5: जिसे यूजी सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा) या 80 क्रेडिट (स्तर 6: जिसे यूजी डिप्लोमा से सम्मानित किया जाएगा) हासिल करने के बाद पाठ्यक्रम से बाहर निकलने वाले छात्र को पेश किए गए कार्य/डोमेन आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 4 अतिरिक्त क्रेडिट हासिल करने की भी आवश्यकता होती है। ग्रीष्मकालीन अवधि या औद्योगिक इंटर्नशिप/अप्रेंटिसशिप के दौरान।

4-वर्षीय स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम को एक पसंदीदा विकल्प माना जाता है क्योंकि यह चुने हुए मेजर और न्यूनतम या छात्र की पसंद पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा समग्र और बहु-विषयक शिक्षा की पूरी श्रृंखला का अनुभव करने का अवसर प्रदान करेगा।

तालिका 2: स्नातक पाठ्यक्रम के क्रेडिट का सेमेस्टर-वार और व्यापक पाठ्यक्रम श्रेणी-वार वितरण:

Semester	Discipline Specific Courses - Core	Minor	Inter-disciplinary courses	Ability Enhancement courses (language)	Skill Enhancement courses /Internship /Dissertation	Common Value-Added Courses	Total Credits
I	(100 level)	(100 Level)	(1 course)	1 course)	(1 course)	(1 or 2 courses)	20
II	(100 level)	(100 Level)	(1 course)	(1 course)	(1 course)	(1 or 2 courses)	20
	Students exiting the programme after securing 40 credits will be awarded UG Certificate in the relevant Discipline /Subject provided they secure 4 credits in work based vocational courses offered during summer term or internship / Apprenticeship in addition to 6 credits from skill-based courses earned during first and second semester.						40
III	(200 level)	(200 & above)	(1 course)	(1 course)	(1 course)	-	20
IV	(200 level)	(200 & above)	-	(1 course)	-		20
	Students exiting the programme after securing 80 credits will be awarded UG Diploma in the relevant Discipline /Subject provided they secure additional 4 credit in skill based vocational courses offered during first year or second year summer term.						80
V	(300 Level)	(200 & above)	-	-	(Internship)	-	20
VI	(300 Level)	(200 & above)	-	-	-	-	20
	Students who want to undertake 3-year UG programme will be awarded UG Degree in the relevant Discipline /Subject upon securing 120 credits						120
VII	(400 Level)	(300 & above)	-		-	-	20
VIII	(400 Level)	(300 & above)	-		(Research Project/ Dissertation)		20
	Students will be awarded UG Degree (Honours) with Research in the relevant						160
	Discipline /Subject provided they secure 160 credits						

टिप्पणी:

i.केवल प्रत्येक सेमेस्टर में क्रेडिट की न्यूनतम कुल संख्या ऊपर दर्शाई गई है। न्यूनतम संख्या में क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एचईआई प्रत्येक पाठ्यक्रम (जैसे, प्रमुख, लघु, बहुविषयक, आदि) के लिए क्रेडिट की संख्या तय कर सकता है।

ii. छात्रों को एचईआई द्वारा प्रस्तावित उनकी पसंद के पाठ्यक्रम का ऑडिट करने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते वे पाठ्यक्रम के लिए पूर्व-आवश्यकताएं पूरी करते हों।

iii.माइनर स्ट्रीम पाठ्यक्रम तीसरे 300 या उससे ऊपर के स्तर के हो सकते हैं और माइनर से कुल क्रेडिट का 50% संबंधित विषय/विषय में सुरक्षित किया जाना चाहिए और माइनर से कुल क्रेडिट का अन्य 50% छात्रों के पसंद अनुसार किसी भी विषय से अर्जित किया जा सकता है।

iv. छात्रों को अंतःविषय श्रेणी के तहत 12वीं कक्षा में पढ़े गए समान पाठ्यक्रमों को लेने की अनुमति नहीं है।

v. मौजूदा यूजीसी नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से किसी भी श्रेणी में 40% क्रेडिट अर्जित किए जा सकते हैं।

vi. आठवीं-सेमेस्टर का मुख्य विषय छात्रों की प्रस्तुतियों और चर्चाओं के साथ सेमिनार-आधारित हो सकता है।

vii. छात्रों को एनएसएस/एनसीसी जैसी गतिविधियों में नामांकन के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

अर्जित क्रेडिट की वैधता अधिकतम सात वर्ष की होगी (शैक्षणिक कार्यक्रमों में एकाधिक प्रवेश और निकास के लिए यूजीसी दिशानिर्देशों के अनुसार या बाद के चरण में यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट)

19. स्नातक कार्यक्रमों का नामकरण

स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम कई निकास/प्रवेश विकल्पों (सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री) के साथ 3 या 4 साल की अवधि के होंगे।

विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित यूजी कार्यक्रमों को यूजीसी दिशानिर्देशों के अनुसार नए नामकरण के साथ संशोधित किया जाएगा।

स्नातक कार्यक्रमों के लिए क्रेडिट आवश्यकताएँ तालिका - 1 में दी गई हैं।

20. स्नातकोत्तर कार्यक्रमों का नामकरण

विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम/स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम का नामकरण यूजीसी दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

21. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश पथ:

i.छात्रों को दो साल के पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा, जिसमें दूसरा वर्ष पूरी तरह से उन लोगों के लिए अनुसंधान के लिए समर्पित होगा जिन्होंने तीन साल का स्नातक पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है।

ii. ऑनर्स/रिसर्च के साथ चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम पूरा करने वाले छात्रों को एक वर्षीय मास्टर पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जा सकता है।

iii. एक एकीकृत पांच वर्षीय स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रम हो सकता है।

प्रविष्टि 5: स्तर 9 के लिए प्रवेश आवश्यकता है

i.एक वर्षीय/दो-सेमेस्टर मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम के लिए स्नातक डिग्री (ऑनर्स/अनुसंधान)।

ii. दो-वर्षीय/चार-सेमेस्टर मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम के लिए स्नातक की डिग्री।

iii. एक वर्षीय/दो-सेमेस्टर स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए स्नातक की डिग्री।

iv. मास्टर डिग्री और पोस्ट-ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए अध्ययन का एक पाठ्यक्रम उन लोगों के लिए खुला है, जिन्होंने पाठ्यक्रम प्रवेश नियमों में निर्दिष्ट स्तर की प्राप्ति सहित प्रवेश आवश्यकताओं को पूरा किया है। अध्ययन के एक

पाठ्यक्रम में प्रवेश आवेदक की जांच के विशेषज्ञ क्षेत्र में स्नातकोत्तर अध्ययन करने की क्षमता के दस्तावेजी साक्ष्य (शैक्षणिक रिकॉर्ड सहित) के मूल्यांकन पर आधारित है।

निकास 5: स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए, दो-वर्षीय मास्टर पाठ्यक्रम में शामिल होने वालों के लिए केवल एक निकास बिंदु होगा, अर्थात, मास्टर पाठ्यक्रम के पहले वर्ष के अंत में। प्रथम वर्ष के बाद बाहर निकलने वाले छात्रों को स्नातकोत्तर डिप्लोमा से सम्मानित किया जाएगा।

22. क्रेडिट आवश्यकताएँ (तालिका - 1 देखें)

i. एक साल/दो सेमेस्टर का मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम ऑनर्स/रिसर्च के साथ स्नातक की डिग्री पर आधारित है और ऑनर्स/रिसर्च के साथ स्नातक की डिग्री पूरी करने वाले व्यक्तियों के लिए 36-40 क्रेडिट की आवश्यकता होती है।

ii. दो-वर्षीय/चार-सेमेस्टर मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम स्नातक की डिग्री पर आधारित है और पाठ्यक्रम के दोनों वर्षों में कुल 72-80 क्रेडिट की आवश्यकता होती है, पहले वर्ष में 36-40 क्रेडिट और दूसरे वर्ष में 36-40 क्रेडिट की आवश्यकता होती है। स्तर 9 पर पाठ्यक्रम का.

iii. एक साल/दो सेमेस्टर का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम स्नातक की डिग्री पर आधारित है और स्नातक की डिग्री पूरी करने वाले व्यक्तियों के लिए 36-40 क्रेडिट की आवश्यकता होती है।

*एक छात्र को केवल विषम सेमेस्टर में प्रवेश/पुनः प्रवेश की अनुमति दी जाएगी और केवल सम सेमेस्टर के बाद ही बाहर निकल सकता है। शैक्षणिक कार्यक्रमों में पार्श्व प्रवेशकों के रूप में विभिन्न स्तरों पर पुनः प्रवेश अर्जित क्रेडिट और दक्षता परीक्षण रिकॉर्ड के आधार पर होना चाहिए।

*अर्जित क्रेडिट की वैधता अधिकतम सात वर्ष की अवधि या एबीसी द्वारा निर्दिष्ट होगी। अर्जित क्रेडिट को जमा करने की प्रक्रिया, इसकी शेल्फ लाइफ, क्रेडिट का मोचन, यूजीसी (उच्च शिक्षा में अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) योजना की स्थापना और संचालन) विनियम, 2021 के अनुसार होगा।

23.उपस्थिति

उपस्थिति की आवश्यकता परीक्षाओं को नियंत्रित करने वाले विश्वविद्यालय अध्यादेश के अनुसार होगी। सामान्य तौर पर, अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में उपस्थित होने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में कम से कम पचहत्तर प्रतिशत की उपस्थिति आवश्यक होगी।

लंबी बीमारी जैसे विशेष कारणों से प्रत्येक पाठ्यक्रम में उपस्थिति के प्रतिशत में कमी को कुलपति द्वारा माफ किया जा सकता है।

24. परीक्षा एवं मूल्यांकन

किसी दिए गए अनुशासनात्मक/विषय क्षेत्र और अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए उपयुक्त विभिन्न प्रकार की मूल्यांकन विधियों का उपयोग पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रम सीखने के परिणामों की दिशा में प्रगति का आकलन करने के लिए किया जाएगा। रचनात्मक मूल्यांकन को प्राथमिकता दी जाएगी। मूल्यांकन निरंतर मूल्यांकन पर आधारित होगा, जिसमें सेशनल कार्य और टर्मिनल परीक्षा अंतिम ग्रेड में योगदान देगी। सत्रीय कार्य में कक्षा परीक्षण, मध्य-सेमेस्टर परीक्षा, होमवर्क असाइनमेंट आदि शामिल होंगे, जैसा कि अध्ययन के पाठ्यक्रमों के प्रभारी संकाय द्वारा निर्धारित किया जाएगा। सीखने के परिणामों की उपलब्धि की दिशा में प्रगति का मूल्यांकन निम्नलिखित का उपयोग करके किया

जाएगा: समय-बाधित परीक्षाएं; बंद किताब और खुली किताब परीक्षण; समस्या-आधारित कार्य; व्यावहारिक असाइनमेंट प्रयोगशाला रिपोर्ट; व्यावहारिक कौशल का अवलोकन; व्यक्तिगत परियोजना रिपोर्ट (केस-स्टडी रिपोर्ट); टीम परियोजना रिपोर्ट; संगोष्ठी प्रस्तुति सहित मौखिक प्रस्तुतियाँ; मौखिक साक्षात्कार; कम्प्यूटरीकृत अनुकूली मूल्यांकन, मांग पर परीक्षा, मॉड्यूलर प्रमाणन, आदि।

प्रत्येक पाठ्यक्रम एक परीक्षा पेपर के अनुरूप होगा जिसमें बाहरी और आंतरिक मूल्यांकन शामिल होंगे। मेजर, माइनर, ओपन/जेनेरिक और डीएससी (अनुशासन विशिष्ट पाठ्यक्रम) व्यावसायिक, मूल्य वर्धित, एसईसी (कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम) और एईसी (क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम) के लिए सेमेस्टर अंत सिद्धांत परीक्षाएं अनुमोदित परीक्षा नियमों के माध्यम से प्रख्यापित अवधि की होंगी। थ्योरी/प्रैक्टिकल/ट्यूटोरियल, आंतरिक, बाहरी परीक्षाओं के लिए क्रेडिट संरचना और एक परीक्षा के लिए कुल अंक यूजीसी मानदंडों के अनुसार विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम संरचना के अनुसार होंगे। छात्रों को विश्वविद्यालय के परीक्षा नियमों के अनुसार, संबंधित पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण घोषित होने के लिए अलग-अलग आंतरिक और बाहरी परीक्षाओं में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त करना होगा।

i.लेटर ग्रेडऔर ग्रेड अंक

सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत (एसजीपीए) की गणना किसी दिए गए सेमेस्टर में छात्र के प्रदर्शन के माप के रूप में ग्रेड से की जाती है। एसजीपीए वर्तमान सत्र के ग्रेड पर आधारित है, जबकि संचयी जीपीए (सीजीपीए) अध्ययन के पाठ्यक्रम में शामिल होने के बाद लिए गए सभी पाठ्यक्रमों में ग्रेड पर आधारित है।

एचईआई छात्रों के लाभ के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्राप्त अंकों और सभी सेमेस्टर में प्राप्त अंकों के आधार पर अंकों के भारित औसत का भी उल्लेख कर सकता है।

तालिका-3: ग्रेडिंग प्रणाली

अक्षर ग्रेड	ग्रेड अंक	विवरण	अंकों की सीमा (%)
O	10	असाधारण	90-100
A+	9	उत्कृष्ट	80-89
A	8	बहुत अच्छा	70-79
B+	7	अच्छा	60-69
B	6	औसत से ऊपर	50-59
C	5	औसत	40-49
P	4	पास	35-39
F	0	फेल	0-34
Ab	0	अनुपस्थित	अनुपस्थित

ii. एमओओसी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन और प्रमाणन:

एमओओसी, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, फील्ड प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप/अप्रेंटिसशिप/सामुदायिक जुड़ाव और सेवा/अनुसंधान परियोजना के मूल्यांकन और प्रमाणन के लिए विश्वविद्यालय/स्वयं पोर्टल/यूजीसी के दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।

iii. एसजीपीए/सीजीपीए की गणना

विश्वविद्यालय सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत (एसजीपीए) और संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत (सीजीपीए) की गणना करने के लिए यूजीसी द्वारा अनुशंसित प्रक्रिया का पालन करेगा:

i. एसजीपीए एक छात्र द्वारा लिए गए सभी पाठ्यक्रमों में प्राप्त ग्रेड अंकों के साथ क्रेडिट की संख्या के उत्पाद के योग और एक छात्र द्वारा किए गए सभी पाठ्यक्रमों के क्रेडिट की संख्या के योग का अनुपात है। SGPA (Si) = Σ(Ci x Gi) / ΣCi

जहां Ci, iवें कोर्स के क्रेडिट की संख्या है और Gi, iवें कोर्स में छात्र द्वारा प्राप्त ग्रेड प्वाइंट है।

iv. स्नातक सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री प्रदान करने के लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा करने पर, सीजीपीए की गणना की जाएगी, और यह मान सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री पर दर्शाया जाएगा। 3-वर्षीय (6 सेमेस्टर) और 4-वर्षीय (8 सेमेस्टर) स्नातक डिग्री में निम्नानुसार प्राप्त डिवीजन को भी दर्शाया जाना चाहिए।

तालिका-4: प्रभागों का वितरण

प्रभाग	मानदंड
विशिष्टता के साथ प्रथम श्रेणी	उम्मीदवार ने 8.00 या उससे अधिक सीजीपीए के साथ डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम क्रेडिट अर्जित किए हैं
प्रथम श्रेणी	उम्मीदवार ने 6.50 से अधिक लेकिन 8.0 से कम सीजीपीए के साथ डिग्री प्रदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम क्रेडिट अर्जित किए हैं।
द्वितीय श्रेणी	उम्मीदवार ने 5.00 या उससे अधिक लेकिन 6.50 से कम सीजीपीए के साथ डिग्री प्रदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम क्रेडिट अर्जित किए हैं।
उत्तीर्ण	उम्मीदवार ने 4.00 या उससे अधिक लेकिन 5.00 से कम सीजीपीए के साथ डिग्री प्रदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम क्रेडिट अर्जित किए हैं।

अन्य शैक्षणिक मामलों में इसके अनुप्रयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए सीजीपीए को प्रतिशत में परिवर्तित किया जाएगा।

समतुल्य प्रतिशत = सीजीपीए$\times$10 प्रतिशत को दूसरे दशमलव बिंदु तक पूर्णांकित किया जाएगा।

25. उम्मीदवार को सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री से सम्मानित किया जाएगा जब वह सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री के लिए आवश्यक न्यूनतम क्रेडिट सफलतापूर्वक अर्जित कर लेगा।

26. प्रतिलेख जारी करना

लेटर ग्रेड, ग्रेड पॉइंट और एसजीपीए और सीजीपीए पर सिफारिशों के आधार पर, विश्वविद्यालय प्रत्येक सेमेस्टर के लिए प्रतिलेख और सभी सेमेस्टर में प्रदर्शन का संकेत देने वाली एक समेकित प्रतिलेख जारी करेगा।

27. क्रेडिट ट्रांसफर

i. क्रेडिट ट्रांसफर समय-समय पर यूजीसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बनाई गई विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार लागू किया जाएगा।

ii. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा में अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना और संचालन) विनियम 2021 के तहत स्थापित अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के सदस्य संस्थान समय-समय पर संशोधित इस विनियमन के प्रावधानों के अनुसार क्रेडिट स्वीकार और हस्तांतरित करेंगे।

iii. अंतिम पदोन्नति के मामलों को छोड़कर, विश्वविद्यालय अपने बीच छात्रों के क्रेडिट हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करेंगे, हालांकि, छात्र को उस विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रम के लिए समानता रखते हुए कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता हो सकती है जिसमें छात्र प्रवेश चाहता है।

28. यदि इस अध्यादेश के प्रावधानों की व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न उठता है, तो इसे चर्चा और सिफारिशों के लिए प्रबंधन बोर्ड को भेजा जाएगा।

29. इस पाठ्यक्रम से संबंधित वैधानिक निकायों जैसे यूजीसी/एआईसीटीई/पीसीआई/बीसीआई/आरसीआई /सीएओ/किसी अन्य प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों को कार्यान्वयन के लिए अपनाया जाएगा।

30. इस अध्यादेश के अंतर्गत नहीं आने वाले मामलों में विश्वविद्यालय के सामान्य नियम और विनियम लागू होंगे।

31. यदि यूजीसी भविष्य में इस संबंध में अपने विनियमों में कोई बदलाव अधिसूचित करता है, तो उसे विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद और प्रबंधन बोर्ड की मंजूरी के साथ मौजूदा अध्यादेश में शामिल किया जाएगा।

32. उपरोक्त के बावजूद, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम यूजीसी या संबंधित वैधानिक निकाय के प्रासंगिक नियमों और मानदंडों द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप होगा।

33. अध्यादेश की व्याख्या पर किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण को बाध्यकारी माना जाएगा

---***---

अटल नगर, दिनांक 2 जुलाई 2024

क्रमांक एफ 3–6/2015/38–2 (पार्ट–1). – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02–07–2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.पी. पाण्डेय, उप–सचिव.

Atal Nagar, the 2nd July 2024

NOTIFICATION

No. F 3-6/2015/38-2 (Part-I). – Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, Raipur vide its Letter No. 756/S&O/Amity/2014/20244, Dated 29-05-2024 has approved the Ordinances No. 38 of Amity University, Village-Manth, Tahsil-Tilda, District-Raipur, Chhattisgarh Under Section 29(2) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment & Operation) Act, 2005.

2/ The State Government hereby gives its approval for notification of these Ordinances in Official Gazette.

3/ The above Ordinances shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. P. PANDEY, Deputy Secretary.

AMITY UNIVERSITY
CHHATTISGARH

Ordinance No.: 38

Ordinance applicable for all the Certificates, Diploma, Under graduate and Post graduate programmes as per the guidelines issued by UGC, New Delhi under National Education Policy 2020, Except Governed/Regulated/Approved by BCI, PCI, NCTE, AICTE, MCI and ICAR etc.

1. TITLE AND COMMENCEMENT

i. The ordinance shall be called as ordinance for all the certificates, Diploma, Undergraduate and Post graduate programmes as per the guidelines issued by UGC New Delhi under National Education Policy 2020, except Governed/Regulated/Approved by BCI, PCI, NCTE, AICTE, MCI and ICAR etc.

ii. This ordinance will come into force from the academic session commencing after the date of notification issued by the University.

iii. The provision of the ordinance shall apply to the three year/six semester Bachelor's Degree or Four year/eight semester Bachelor's Degree (Honors/Research), one year/two-year masters' degree programme approved under the faculties of Arts, Science, Business Management, Engineering, Nano-Technology, Commerce, Law, Hotel Management, Fashion Designing except Governed/Regulated/Approved by BCI, PCI, NCTE, AICTE, MCI and ICAR etc.

2. DEFINITION & KEY WORDS

- "**Act**" means the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act 2005 and subsequent amendments.
- "**University**" means Amity University, Chhattisgarh established under section 28 (1) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act 2005.
- **"Student"** means one who has been admitted in the various prograrnme of this University as per procedure decided by Amity University for Admission to undergraduate/postgraduate degree and postgraduate diploma courses from time to time.
- **"Choice Based Credits System (CBCS)**" means a program that provides choice for students to select from the prescribed courses (Core Courses, Mandatory Courses, Professional Core, Professional Elective, Open Elective, Minor Track, Value Added, **Skill Enhancement Courses** etc.) as per the guidelines issued by UGC / relevant regulatory bodies where ever applicable and as approved by the appropriate bodies of the University.

- **"Course"** means "papers" through different modes of delivery and is a component of a programme as detailed out in the respective program structure.
- **"Credits Point**" means the product of grade point and number of credits for a course.
- **"Credits"** means a unit by which the course work is measured. It determines the number of hours of instructions required per week. one credit is equivalent to one hour of teaching (lecture, seminar) per week or two hours of practical work/ tutorial/field work/project etc. per week. The number of credits for each course shall be defined in the respective examination scheme.
- **"Cumulative Grade Point Average (CGPA)"** means a measure of overall cumulative performance of a student in all semesters. The CGPA is the ratio of total credits points secured by a student in various courses registered up to the semester concerned and the sum of the total credit points of all the registered courses in those semesters concerned. It is expressed up to two decimal places.
- "**Semester Grade Point Average (SGPA)"** means a measure of performance of a student in a particular semester. It is the ratio of total credits points secured by a student in various courses registered in a semester and the total credits of all courses in that semester. It shall be expressed up to two decimal places.
- **"Grade Point"** means a numerical weight allotted to each letter grade on a 10-point scale or as prescribed by the University from time to time.
- **"Letter Grade"** means an index of the performance of students in a course. Grades are denoted by letters O, A+, A, B+, B, C, P and F.
- **"Semester"** means an academic session spread over 14-20 weeks of teaching work. The odd semester may normally be scheduled from July to December and even semester from January to June.
- **"Grade Sheet"** means a certificate based on the grades earned. Grade sheet shall be issued to all the students registered for the examination after every semester. The grade sheet will contain the course details (code, title, number of credits, grade secured) along with SGPA of the semester and CGPA earned till that semester. The final semester grade sheet shall also reflect the cumulative total of marks obtained by the student in all semesters out of maximum marks allocated for which the grades of the program were evaluated. However, the final result will be based on the grades/CGPA.
- **"Transcript**" means a certificate issued to all enrolled students in a program after successful completion of the program. It contains the SGPA of all semesters and the CGPA.
- **"NEP"** means National Education policy-2020.
- **"NSQF"** means National Skills Qualifications Framework defined in NEP 2020.
- **"NHEQF"** National Higher Education Qualification Framework defined in NEP 2020.
- **"UCF"** means Unified Credits Framework defined in NEP 2020.
- **"Undergraduate Certificate Course"** means students who completed the requirement of NHEQF level 5/ UCF level 4.5.

- **"Undergraduate Diploma Course** " means students who completed the requirement of NHEQF level 6 / UCF level 5.
- **"Bachelor Degree"** means students who completed the requirement of NHEQF level 7/ UCF level 5.5.
- **"Bachelor Degree (Honours/Research)"** means students who completed the requirement of NHEQF level 8 / UCF level 6.
- **"Post Graduate Degree Course"** 2-year PG: Students entering 2-year PG after a 3-year UG programme OR 1-year PG: Students entering 1-year PG after a 3-year UG programme with Honors / Research.
- **"Post Graduate Diploma Course"** For the PG programme, there shall only be one exit point for those who join two-year PG programme. Students who exit at the end of 1st year shall be awarded a Postgraduate Diploma.
- **"Course Registration"** refers to the registration to courses of study in every semester by every student under the supervision of a faculty advisor (also called mentor, counsellor, class teacher, etc.), in the University to maintain the proper record. registration to the University portal "Amizone" is mandatory.
- **"Course Evaluation"** represents the measurement of the impact of the teaching-leaning process and offers an opportunity for improving the quality of learning in courses and teaching performance. Courses evaluation is done by adopting different methods such as tests, quizzes, assignments, etc., during the teaching-learning period at the end of some modules or chapters of syllabus contents and at the end of the semester. While the former part of the evaluation is called the continuous internal assessment and the later part of the evaluation is called end semester assessment.
- **"CBCS"** Each course carries a defined number of credits. The credits are based on the course structure, including the teaching mode and the number of contact hours for lecture, tutorial, and practical classes. Credits are based on the number of contact hours, course content, and teaching methodology and allotted maximum marks.

  The credits will be awarded by the University. The credits can be calculated as follows:

  - One hour of theory or two hours of tutorial or two hours of laboratory work per week for 12-15 weeks resulting in the award of one credit.
  - Credits for internship shall be one credit per week of training, subject to a maximum of six credits in a semester.
  - Project/Dissertation: two hours of Project/Research work per week for 12-15 weeks resulting in the award of one credit.

- **"Academic Bank of Credits (ABC)"**, is a national-level facility which will promote the flexibility of the curriculum framework and interdisciplinary/multidisciplinary academic mobility of students across the higher education institutions (HEIs) in the country with appropriate "credit transfer" mechanism.

- **"Multiple Entry Exit"** means the multiple entries and exit points in the academic programs offered at HEIs that would remove rigid boundaries and create new possibilities for students. There are occasions when learners have to give up their education mid-way for various reasons. To facilitate flexible learning within the stipulated period, multiple exit and entry options are given to the needy students. The student can exit from the program only at the end of the even semester/s (2^{nd},4^{th}, and 6^{th} semester) and the entry option is provided to the students at the beginning of the odd semester/s (3^{rd}, 5^{th} and 7^{th} semester).

3. ADMISSION

i. Admission rules and guidelines for admission to these programmes have been framed by the University for admission.

ii. The student who has passed the Grade 12 Examination from Board of Secondary Education, Chhattisgarh or an equivalent examination from any other board recognised by the State and Central Government and other statutory bodies concerned will be eligible for admission to these Undergraduate Programmes.

iii. The admission shall be made on the merit calculated on the basis of criteria notified by the University/ Central Government/State Government, keeping in view the guidelines in this regard issued by the UGC and other statutory bodies concerned.

iv. Student enrolment in a programme shall be restricted to the seats duly approved by the Academic Council of the University. The additional increase in the seats can be done after the approval of Academic Council and Board of Management.

v. The in-take capacity shall be determined in advance by the University under the provisions of this Ordinance shall be applicable from the academic session 2024-25.

vi. Depending upon the academic and physical facilities available, the University may earmark seats to a maximum of 10% of the seats sanctioned for the previous year of the programme for lateral entrants in the second year, third year, fourth year of a first-degree programme, if the students have successfully completed the first year/second year/third year of the same programme in any institution and wants to re-enter into the programme after a break in studies.

vii. The University may create up to 10% supernumerary seats for international students, over and above of their total sanctioned enrolment for Undergraduate and Postgraduate programmes. The decision regarding 10% supernumerary seats has to be carried out as per specific guidelines/regulations issued by the regulatory bodies considering the infrastructure, faculty and other requirements.

viii. The 10% of the supernumerary seats for international students will not include the international students under exchange programmes or/and through Memorandum of Understanding (MoU) between institutions or between Government of India and other countries.

ix. To enable multiple entry and exit points in the academic programmes, qualifications such as certificate, diploma, and degree are organized in a series of levels in an ascending order from level 5 to level 8. Level 5 represents Certificate, level 6 represents Diploma, level 7 represents bachelor's degree and 8 represents Bachelor Degree (Honours/Research) qualification (Table-1).

Qualification and minimum credit requirements are given in Table -1. The entry and exit options for students, who enter the undergraduate programme, shall be as under:

UG Certificate: Students who opt to exit after completion of the first year and have secured 40 credits will be awarded a UG certificate if, in addition, they complete one vocational course of 4 credits during the summer vacation of the first year. These students are allowed to re-enter the degree programme within three years and complete the degree programme within the stipulated maximum period of seven years.

UG Diploma: Students who opt to exit after completion of the second year and have secured 80 credits will be awarded the UG diploma if, in addition, they complete one vocational course of 4 credits during the summer vacation of the second year. These students are allowed to re-enter within a period of three years and complete the degree programme within the maximum period of seven years.

3-year UG Degree: Students who wish to undergo a 3-year UG programme will be awarded UG Degree in the Major discipline after successful completion of three years, securing 120 credits and satisfying the minimum credit requirement as given in table 2 (Section 5).

4-year UG Degree (Honours): A four-year UG Honours degree in the major discipline will be awarded to those who complete a four-year degree programme with 160 credits and have satisfied the credit requirements as given in **Table 1**.

4-year UG Degree (Honours with Research): Students who secure 75% marks and above in the first six semesters and wish to undertake research at the undergraduate level can choose a research stream in the fourth year. They should do a research project or dissertation under the guidance of a faculty member of the University/College. The research project/dissertation will be in the major discipline. The students who secure 160 credits, including 12 credits from a research project/dissertation, are awarded UG Degree (Honours with Research).

UG Degree Programmes with Single Major: A student has to secure a minimum of 50% credits from the major discipline for the 3-year/4-year UG degree to be awarded a single major.

UG Degree Programmes with Double Major: A student has to secure a minimum of 40% credits from the second major discipline for the 3-year/4-year UG degree to be awarded a double major.

Interdisciplinary UG Programmes: The credits for core courses shall be distributed among the constituent disciplines/subjects so as to get core competence in the interdisciplinary programme.

Multidisciplinary UG Programmes: In the case of students pursuing a multidisciplinary programme of study, the credits to core courses will be distributed among the broad disciplines such as Life sciences, Physical Sciences, Mathematical and Computer Sciences, Data Analysis, Social Sciences, Humanities, etc.,

The statutory bodies of the University such as the Board of Studies and Academic Council will decide on the list of courses under major category and credit distribution for double major, interdisciplinary and multidisciplinary programmes. Minimum Credit Requirements to Award Degree under Each Category

Table – 1 Qualification Type and Credit Requirements

Qualification Type and Credit Requirements		
Levels	**Qualification title**	**Minimum Credit requirements**
Level 5	Undergraduate Certificate (in the field of learning/discipline) for those who exit after the first year (two semesters) of the undergraduate programme. (Programme duration: first year or two semesters of the undergraduate programme)	36–40
Level 6	Undergraduate Diploma (in the field of learning/discipline) for those who exit after two years (four semesters) of the undergraduate programme (Programme duration: First two years or four semesters of the undergraduate programme)	72–80
Level 7	Bachelor' Degree (Programme duration: Three years or six semesters).	108–120
Level 8	Bachelor' Degree (Honours/Research) (Programme duration: Four years or eight semesters).	144–160
Level 8	Post-Graduate Diploma for those who exit after the successful completion of the first year or two semesters of the two-year	36–40

	Master's degree programme). (Programme duration: One year or two semesters)	
Level 9	Master's Degree (Programme duration: Two years or four semesters after obtaining a Bachelor's degree).	72–80
Level 9	Master's Degree (Programme duration: One year or two semesters after obtaining a four-year Bachelor's Degree (Honours/Research).	36–40
Level 10	Doctoral Degree	Minimum prescribed credits for course work and a thesis with published work

Note: -

1. Honours students not undertaking research will do 3 courses for 12 credits in lieu of a research project / Dissertation.

2. As per the guidelines promulgated by UGC/Statutory bodies, the university may allot additional credits in a manner that will facilitate the students to meet the minimum credit requirements.

4.CURRICULAR COMPONENTS OF THE UNDERGRADUATE PROGRAMME

The curriculum consists of major stream courses, minor stream courses and courses from other disciplines, language courses, skill courses, and a set of courses on Environmental education, understanding India, Digital and technological solutions, Health & Wellness, Yoga education, and sports and fitness. At the end of the second semester, students can decide either to continue with the chosen major or request a change of major. The minor stream courses include vocational courses which will help the students to equip with job-oriented skills.

5.DISCIPLINARY/INTERDISCIPLINARY MAJOR:

The major would provide the opportunity for a student to pursue in-depth study of a particular subject or discipline. Students may be allowed to change major within the broad discipline at the end of the second semester by giving her/him sufficient time to explore interdisciplinary courses during the first year. Advanced-level disciplinary/interdisciplinary courses, a course in research methodology, and a project/dissertation will be conducted in the seventh semester. The final semester will be devoted to seminar presentation, preparation, and submission of project report/dissertation. The project work/dissertation will be on a topic in the disciplinary programme of study or an interdisciplinary topic.

6.DISCIPLINARY/INTERDISCIPLINARY MINORS:

Students will have the option to choose courses from disciplinary/interdisciplinary minors and skill-based courses relating to a chosen vocational education programme. Students who take a sufficient number of courses in a discipline or an interdisciplinary area of study other than the chosen major will qualify for a minor in that discipline or in the chosen interdisciplinary area of study. A student may declare the choice of the minor and vocational stream at the end of the second semester, after exploring various courses.

7.VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING:

Vocational Education and Training will form an integral part of the undergraduate programme to impart skills along with theory and practical. A minimum of 12 credits will be allotted to the 'Minor' stream relating to Vocational Education and Training and these can be related to the major or minor discipline or choice of the student. These courses will be useful to find a job for those students who exit before completing the programme.

8.COURSES FROM OTHER DISCIPLINES (MULTIDISCIPLINARY) (9 CREDITS):

All UG students are required to undergo 3 introductory-level courses relating to any of the broad disciplines given below. These courses are intended to broaden the intellectual experience and form part of liberal arts and science education. Students are not allowed to choose or repeat courses already undergone at the higher secondary level (12th class) in the proposed major and minor stream under this category.

i. Natural and Physical Sciences: Students can choose basic courses from disciplines such as Natural Science, for example, Biology, Botany, Zoology, Biotechnology, Biochemistry, Chemistry, Physics, Biophysics, Astronomy and Astrophysics, Earth and Environmental Sciences, etc.

ii. Mathematics, Statistics, and Computer Applications: Courses under this category will facilitate the students to use and apply tools and techniques in their major and minor disciplines. The course may include training in programming software like Python among others and applications software like STATA, SPSS, Tally, etc. Basic courses under this category will be helpful for science and social science in data analysis and the application of quantitative tools.

iii. Library, Information, and Media Sciences: Courses from this category will help the students to understand the recent developments in information and media science (journalism, mass media, and communication)

iv. Commerce and Management: Courses include business management, accountancy, finance, financial institutions, fintech, etc.,

v. Humanities and Social Sciences: The courses relating to Social Sciences, for example, Anthropology, Communication and Media, Economics, History, Linguistics, Political Science, Psychology, Social Work, Sociology, etc. will enable students to understand the individuals and their social behaviour, society, and nation. Students be introduced to survey methodology and available large-scale databases for India. The courses under humanities

include, for example, Archaeology, History, Comparative Literature, Arts & Creative expressions,

Creative Writing and Literature, language(s), Philosophy, etc., and interdisciplinary courses relating to humanities. The list of Courses that can include interdisciplinary subjects such as Cognitive Science, Environmental Science, Gender Studies, Global Environment & Health, International Relations, Political Economy and Development, Sustainable Development, Women's and Gender Studies, etc. will be useful to understand society.

9.ABILITY ENHANCEMENT COURSES (AEC) (08 CREDITS): MODERN INDIAN LANGUAGE (MIL) & ENGLISH LANGUAGE FOCUSED ON LANGUAGE AND COMMUNICATION SKILLS.

Students are required to achieve competency in a Modern Indian Language (MIL) and in the English language with special emphasis on language and communication skills. The courses aim at enabling the students to acquire and demonstrate the core linguistic skills, including critical reading and expository and academic writing skills, that help students articulate their arguments and present their thinking clearly and coherently and recognize the importance of language as a mediator of knowledge and identity. They would also enable students to acquaint themselves with the cultural and intellectual heritage of the chosen MIL and English language, as well as to provide a reflective understanding of the structure and complexity of the language/literature related to both the MIL and English language. The courses will also emphasize the development and enhancement of skills such as communication, and the ability to participate/conduct discussion and debate.

10.SKILLS ENHANCEMENT COURSES (SEC):

These courses are aimed at imparting practical skills, hands-on training, soft skills, etc., to enhance the employability of students. The University may design courses as per the students' needs and available resources.

11.VALUE-ADDED COURSES (VAC) COMMON TO ALL UG STUDENTS (6-8 CREDITS)

i. Understanding India: The course aims at enabling the students to acquire and demonstrate the knowledge and understanding of contemporary India with its historical perspective, the basic framework of the goals and policies of national development, and the constitutional obligations with special emphasis on constitutional values and fundamental rights and duties. The course would also focus on developing an understanding among student-teachers of the Indian knowledge systems, the Indian education system, and the roles and obligations of teachers to the nation in general and to the school/community/society. The course will attempt to deepen knowledge about and understanding of India's freedom struggle and of the values and ideals that it represented to develop an appreciation of the contributions made by people of all sections and regions of the country, and help learners understand and cherish the values enshrined in the Indian Constitution and to prepare them for their roles and responsibilities as effective citizens of a democratic society.

ii. Environmental science/education: The course seeks to equip students with the ability to apply the acquired knowledge, skills, attitudes, and values required to take appropriate actions for mitigating the effects of environmental degradation, climate change, and pollution, effective waste management, conservation of biological diversity, management of biological resources, forest and wildlife conservation, and sustainable development and living. The course will also deepen the knowledge and understanding of India's environment in its totality, its interactive processes, and its effects on the future quality of people's lives.

iii. Digital and technological solutions: Courses in cutting-edge areas that are fast gaining prominences, such as Artificial Intelligence (AI), 3-D machining, big data analysis, machine learning, drone technologies, and Deep learning with important applications to health, environment, and sustainable living that will be woven into undergraduate education for enhancing the employability of the youth.

iv. Health & Wellness, Yoga education, sports, and fitness: Course components relating to health and wellness seek to promote an optimal state of physical, emotional, intellectual, social, spiritual, and environmental well-being of a person. Sports and fitness activities will be organized outside the regular University working hours. Yoga education would focus on preparing the students physically and mentally for the integration of their physical, mental, and spiritual faculties, and equipping them with basic knowledge about one's personality, maintaining self-discipline and self-control, to learn to handle oneself well in all life situations. The focus of sports and fitness components of the courses will be on the improvement of physical fitness including the improvement of various components of physical and skills-related fitness like strength, speed, coordination, endurance, and flexibility; acquisition of sports skills including motor skills as well as basic movement skills relevant to a particular sport; improvement of tactical abilities; and improvement of mental abilities.

The University may introduce other innovative value-added courses relevant to the discipline or common to all UG programmes.

12.SUMMER INTERNSHIP /APPRENTICESHIP (2 – 4 CREDITS)

A key aspect of the new UG programme is induction into actual work situations. All students will also undergo internships / Apprenticeships in a firm, industry, or organization or Training in labs with faculty and researchers in their own or other HEIs/research institutions during the summer term. Students will be provided with opportunities for internships with local industry, business organizations, health and allied areas, local governments (such as panchayats, municipalities), Parliament or elected representatives, media organizations, artists, crafts persons, and a wide variety of organizations so that students may actively engage with the practical side of their learning and, as a by-product, further improve their employability. Students who wish to exit after the first two semesters will undergo a 4-credit work-based learning/internship during the summer term in order to get a UG Certificate.

13.COMMUNITY ENGAGEMENT AND SERVICE:

The curricular component of 'community engagement and service' seeks to expose students to the socio-economic issues in society so that the theoretical learnings can be supplemented by actual life experiences to generate solutions to real-life problems. This can be part of summer term activity or part of a major or minor course depending upon the major discipline.

14.FIELD-BASED LEARNING/MINOR PROJECT:

The field-based learning/minor project will attempt to provide opportunities for students to understand the different socio-economic contexts. It will aim at giving students exposure to development-related issues in rural and urban settings. It will provide opportunities for students to observe situations in rural and urban contexts, and to observe and study actual field situations regarding issues related to socioeconomic development. Students will be given opportunities to gain a first-hand understanding of the policies, regulations, organizational structures, processes, and programmes that guide the development process. They would have the opportunity to gain an understanding of the complex socio-economic problems in the community, and innovative practices required to generate solutions to the identified problems. This may be a summer term project or part of a major or minor course depending on the subject of study.

15.RESEARCH PROJECT / DISSERTATION

Students choosing a 4-Year Bachelor's degree (Honours with Research) are required to take up research projects under the guidance of a faculty member. The students are expected to complete the Research Project in the eighth semester. The research outcomes of their project work may be published in peer-reviewed journals or may be presented in conferences /seminars or may be patented.

16.OTHER ACTIVITIES:

This component will include participation in activities related to National Service Scheme (NCC), National Cadet Corps (NCC), adult education/literacy initiatives, mentoring school students, and other similar activities.

17.MASSIVE OPEN ONLINE COURSE (MOOCS)

MOOC's provide flexibility to learners to switch to alternative modes (offline, ODL, online learning & hybrid mode). Amity University Chhattisgarh, as per the guidelines/recommendations received from UGC allows up to 40 percent (40%) of the total courses / credit units being offered in a semester of a programme offered through the SWAYAM/ NPTEL or any other online UGC approved platform.

The university shall develop its guidelines for the implementation of MOOC-based courses. These guidelines outline the process of course selection, credit transfer, and other relevant aspects to ensure a smooth integration of MOOCs into the curriculum.

18.STRUCTURE FOR UNDERGRADUATE PROGRAMME: SEMESTER SYSTEM

As per NEP and guidelines from UGC during the Three years Bachelor programme/Four years Bachelor with Honours/ with Research, students get opportunities for multiple exits

and entries in the programme with earning a Certificate/Diploma/Degree after the completion of required minimum credit units as per the T**able 1**:

* Student exiting the programme after securing 40 credits (Level 5: who will be awarded UG Certificate) or 80 credits (Level 6: who will be awarded UG Diploma) are also required to secure 4 additional credits in work/domain based vocational courses offered during summer term or industrial internship/apprenticeship.

The 4-year Bachelor's degree programme is considered a preferred option since it would provide the opportunity to experience the full range of holistic and multidisciplinary education in addition to a focus on the chosen major and min or as per the choice of the student.

Table 2: The Semester-wise and Broad Course Category-wise Distribution of credits of the Undergraduate Programme:

Semester	Discipline Specific Courses - Core	Minor	Inter-disciplinary courses	Ability Enhancement courses (language)	Skill Enhancement courses /Internship /Dissertation	Common Value-Added Courses	Total Credits
I	(100 level)	(100 Level)	(1 course)	1 course)	(1 course)	(1 or 2 courses)	20
II	(100 level)	(100 Level)	(1 course)	(1 course)	(1 course)	(1 or 2 courses)	20
	Students exiting the programme after securing 40 credits will be awarded UG Certificate in the relevant Discipline /Subject provided they secure 4 credits in work based vocational courses offered during summer term or internship / Apprenticeship in addition to 6 credits from skill-based courses earned during first and second semester.						40
III	(200 level)	(200 & above)	(1 course)	(1 course)	(1 course)	-	20
IV	(200 level)	(200 & above)	-	(1 course)	-		20
	Students exiting the programme after securing 80 credits will be awarded UG Diploma in the relevant Discipline /Subject provided they secure additional 4 credit in skill based vocational courses offered during first year or second year summer term.						80
V	(300 Level)	(200 & above)	-	-	(Internship)	-	20
VI	(300 Level)	(200 & above)	-	-	-	-	20
	Students who want to undertake 3-year UG programme will be awarded UG Degree in the relevant Discipline /Subject upon securing 120 credits						120
VII	(400 Level)	(300 & above)	-		-	-	20
VIII	(400 Level)	(300 & above)	-		(Research Project/ Dissertation)		20
	Students will be awarded UG Degree (Honours) with Research in the relevant						160
	Discipline /Subject provided they secure 160 credits						

Note:

i. Only the minimum total number of credits in each semester is indicated above. The HEIs may decide the number of credits for each course (e.g., Major, Minor, Multidisciplinary, etc.) to fulfil the minimum number of credit requirements.

ii. Students may be permitted to audit course(s) of their choice offered by the HEI provided they meet the pre-requisite for the course.

iii. Minor stream courses can be from the 3rd 300 or above level and 50% of the total credits from minors must be secured in the relevant subject/discipline and another 50% of the total credits from a minor can be earned from any discipline as per students' choice.

iv. Students are not allowed to take the same courses studied in the 12th class under the interdisciplinary category.

v. 40% of the credits in any category may be earned through online courses approved by the University as per the existing UGC regulations.

vi. VIII-Semester core major may be seminar-based with students' presentations and discussions.

vii. Students may be encouraged to enroll in activities such as NSS / NCC.

19.NOMENCLATURE OF UNDERGRADUATE PROGRAMMES

The undergraduate degree programmes will be of either 3- or 4-year duration with multiple exit/entry options (Certificate/Diploma/Degree).

The UG programmes offered by the University will be revised with new nomenclature as per the UGC Guidelines.

The Credit requirements for the undergraduate programmes, are given in Table – 1.

20. NOMENCLATURE OF POSTGRADUATE PROGRAMMES

The nomenclature of post-graduate programme/post-graduate diploma programme offered by the university shall be as per the UGC guidelines.

21.ADMISSION PATHS FOR THE POSTGRADUATE PROGRAMME:

i. Students shall be admitted to a two-year programme with the second year devoted entirely to research for those who have completed the three-year Bachelor's programme

ii. Students completing a four-year Bachelor's programme with Honours/Research, may be admitted to a one-year Master's programme

iii. There may be an integrated five-year Bachelor's/Master's programme.

Entry 5: The entry requirement for Level 9 is

i. A Bachelor's Degree (Honours/Research) for the one-year/two-semester Master's degree programme.

ii. A Bachelor's Degree for the two-year/four-semester Master's degree programme.

iii. A Bachelor's Degree for the one-year/two-semester Post-Graduate Diploma programme.

iv. A programme of study leading to the Master's degree and Post-Graduate Diploma is open to those who have met the entrance requirements, including specified levels of attainment, in the programme admission regulations. Admission to a programme of study is based on the evaluation of documentary evidence (including the academic record) of the applicant's ability to undertake postgraduate study in a specialist field of enquiry.

Exit 5: For postgraduate programmes, there shall only be one exit point for those who join the two-year Master's programme, that is, at the end of the first year of the Master's programme. Students who exit after the first year shall be awarded the Post-Graduate Diploma.

22.CREDIT REQUIREMENTS OF POSTGRADUATE PROGRAMMES

i. A one-year/two-semester Master's degree programme builds on a Bachelor's degree with Honours/Research and requires 36-40 credits for individuals who have completed a Bachelor's degree with Honours/Research.
ii. The two-year/four-semester Master's degree programme builds on a Bachelor's degree and requires a total of 72-80 credits from both years of the programme, with 36-40 credits in the first year and 36-40 credits in the second year of the programme at level 9.
iii. A one-year/two-semester Post-Graduate Diploma programme builds on a Bachelor's degree and requires 36-40 credits for individuals who have completed a Bachelor's degree.

*A student will be allowed to enter/re-enter only at the odd semester and can only exit after the even semester. Re-entry at various levels as lateral entrants in academic programmes should be based on the earned credits and proficiency test records.

*The validity of credits earned will be to a maximum period of seven years or as specified by the ABC. The procedure for depositing credits earned, its shelf life, redemption of credits, would be as per UGC (Establishment and Operationalization of Academic Bank of Credits (ABC) scheme in Higher Education) Regulations, 2021.

23.ATTENDANCE

Requirement of attendance will be as per University Ordinance governing the examinations. In general, attendance of at least seventy-five percent will be required in each course to appear in the end semester examination.

For special reasons such as prolonged illness deficiency in the percentage of attendance in each course may be condoned by the Vice Chancellor.

24. EXAMINATION & EVALUATION

A variety of assessment methods that are appropriate to a given disciplinary/subject area and a programme of study will be used to assess progress toward the course/programme learning outcomes. Priority will be accorded to formative assessment. Evaluation will be based on continuous assessment, in which sessional work and the terminal examination will contribute to the final grade. Sessional work will consist of class tests, mid-semester examination(s), homework assignments, etc., as determined by the faculty in charge of the courses of study. Progress towards achievement of learning outcomes will be assessed using the following: time-constrained examinations; closed-book and open-book tests; problem-based assignments; practical assignment laboratory reports; observation of practical skills; individual project reports (case-study reports); team project reports; oral presentations,

including seminar presentation; viva voce interviews; computerized adaptive assessment, examination on demand, modular certifications, etc.

Each course will correspond to an examination paper comprising of external and internal evaluations. The semester end theory examinations for Major, Minor, Open/Generic and DSC (Discipline specific Course) vocational, value added, SEC (Skill Enhancement Course) and AEC (Ability Enhancement Course) will be of a duration as promulgated through the examination's regulations approved by the Academic Council of the University. The credit structure for theory/Practical/tutorial, internal, external examinations and total marks for an examination shall be as per the programme structure approved by the Academic Council of the University as per UGC norms.

Students shall acquire a minimum passing mark in internal and external examinations separately to be declared as pass in the respective courses, as prescribed by the examination's regulations of the University.

i. Letter Grades and Grade Points

The Semester Grade Point Average (SGPA) is computed from the grades as a measure of the student's performance in a given semester. The SGPA is based on the grades of the current term, while the Cumulative GPA (CGPA) is based on the grades in all courses taken after joining the programme of study.

The HEIs may also mention marks obtained in each course and a weighted average of marks based on marks obtained in all the semesters taken together for the benefit of students.

Table-3: Grading System

Letter Grade	Grade Points	Description	Range of Marks (%)
O	10	Outstanding	90-100
A+	9	Excellent	80-89
A	8	Very Good	70-79
B+	7	Good	60-69
B	6	Above Average	50-59
C	5	Average	40-49
P	4	Pass	35-39
F	0	Fail	0-34
Ab	0	Absent	Absent

ii. EVALUATION AND CERTIFICATION OF MOOCS AND VOCATIONAL COURSES:

The guidelines of the University/SWAYAM portal/UGC shall be followed for evaluation and certification of MOOCs, Vocational Courses, Field Projects/ Internship/ Apprenticeship/ Community engagement and service/ Research Project.

iii. CALCULATION OF SGPA/CGPA

University will follow procedure recommended by UGC to compute the Semester Grade Point Average (SGPA) and Cumulative Grade Point Average (CGPA):

i. The SGPA is the ratio of the sum of the product of the number of credits with the grade points scored by a student in all the courses taken by a student and the sum of the number of credits of all the courses undergone by a student, i.e.

SGPA (Si) = Σ(Ci x Gi) / ΣCi

Where Ci is the number of credits of the i th course and Gi is the grade point scored by the student in the i th course.

iv. On completing all requirements for the award of the undergraduate certificate/ diploma/ degree, the CGPA will be calculated, and this value will be indicated on the certificate /diploma/degree. The 3-years (6 semester) and 4-years (8 semester) undergraduate degrees should also indicate the Division obtained as per **Table 4**:

Table 4: Distribution of Divisions

Division	Criterion
First division with distinction	The candidate has earned minimum number of credits for the award of the degree with CGPA of 8.00 or above
First division	The candidate has earned minimum number of credits required for the award of the degree with CGPA of 6.50 above but less than 8.0
Second division	The candidate has earned minimum number of credits required for the award of the degree with CGPA of 5.00 or above but less than 6.50
Pass	The candidate has earned minimum number of credits required for the award of the degree with CGPA of 4.00 or above but less than 5.00

The conversion of CGPA into percentage will be as followed to facilitate its application in other academic matters.

Equivalent Percentage = CGPA×10. The percentage will be rounded off up to the second decimal point.

25. The candidate shall be awarded a certificate/diploma/degree when he/she successfully earns the minimum required credits for the certificate/diploma/degree.

26. ISSUE OF TRANSCRIPT

Based on the recommendations on Letter grades, grade points and SGPA and CGPA, the university will issue the transcript for each semester and a consolidated transcript indicating the performance in all semesters.

27. CREDIT TRANSFER

i. The credit transfer shall be implemented as per the policy of the University framed in accordance with the guidelines issued by the UGC from time to time.

ii. The member institutions of the Academic Bank of Credit established vide University Grants Commission (Establishment and Operation of Academic Bank of Credits in Higher Education) Regulations 2021 shall accept and transfer the credits as per the provisions of this regulation as amended from time to time.

iii. Except for the cases of provisional promotions, the universities shall facilitate credit transfer of students between them However, the student may be required to fulfil some eligibility criteria, drawing parity for a course, framed by the University in which the student seeks admission.

28. If any question arises relating to the interpretation of the provisions of this ordinance, it shall be referred to the Board of Management for discussion and recommendations.

29. The guidelines, related to this programme, issued from time to time by the statutory bodies e.g., UGC/AICTE/PCI/BCI/RCI/CAO/any other relevant regulatory body will be adopted for implementation.

30. In matters not covered under this Ordinance, general rules and regulations of the University shall be applicable.

31. If UGC notifies any change in future in its Regulations in this regard, the same will be incorporated in the existing Ordinance with the approval by the Academic Council and Board of Management of the University.

32. Notwithstanding the above, the University shall ensure that the study programme leading to degree/diploma/certificate shall confirm, to the standard set by the relevant regulations and norms of the UGC or the relevant statutory body.

33. In case of any dispute on interpretation of the ordinance, the English version shall be considered as binding.

--------***-------

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2024.